क्रमांक **1139-ज(II)-81/26548**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री महा सिंह, पुत्र श्री हजारी सिंह, गांव धामड़, तहसील व जिला रोहतक को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1042-ज(II)-81/26552**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुबेदार लच्छी राम, पुत्र श्री ज्ञानी राम, गांव बलब, तहसील व जिला रोहतक को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1047-ज(II)-81/26556**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दरिया सिंह, पुत्र श्री कन्हैया लाल, गांव रिटोली, तहसील व जिला रोहतक की रबी, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **697-ज(II)-81/26560**.—श्री टेक राम, पुत्र श्री देव सहाय, गांव अछेजा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 17 जुलाई, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(II) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री टेक राम को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1070-ज-(II)-80/27318, दिनांक 11 अगस्त, 1980 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती धापा के नाम रबी, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **880-ज(II)-81/26564**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री धुनी राम, पुत्र श्री कुन्दन, गांव मारियान, तहसील सफीदों, जिला जिन्द, को खरीफ, 1975 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

देस राज सतीजा,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

REVENUE DEPARTMENT

The 14th August, 1981

No. **4901-E(3)-81/28968**.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887), the Governor of Haryana hereby confers on Shri S. K. Sharma, I.A.S., Additional Commissioner, Hissar Division, Hissar, all the powers of a Commissioner specified in sections 13, 14, 15 and 16 of the said Act.

No. **4901-E(3)-81/28974**.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2a) of section 3 of the Punjab Restitution of Mortgage Lands Act, 1938 (Punjab Act 4 of 1938), the Governor of Haryana hereby empowers Shri S. K. Sharma, I.A.S., Additional Commissioner, Hissar Division, Hissar to perform the duties of a Commissioner for the purpose of the said Act.

No. **4901-E(3)-81/28980**.—In exercise of the powers conferred by section 105 of the Punjab Tenancy Act, 1887 (Punjab Act 16 of 1887), the Governor of Haryana hereby confers on Shri S. K. Sharma, I. A. S., Additional Commissioner, Hissar Division, Hissar, all the powers of a Commissioner specified in sections 80, 81, 82, 83 and 84 of the said Act.